अध्याय-VI: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

2030 कार्यसूची जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं, सभी देशों के लिये चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक कार्य योजना का गठन करता है। भारत ने कई मंचों पर एसडीजी को अपने कई विकास कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त करने की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी प्रतिबद्धता को बताया है तथा यह प्रकाश डाला है कि इसके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को एसडीजी में प्रतिबिंबित किया गया है। इस संदर्भ में भारत में 2030 कार्यसूची का कार्यान्वयन हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यसूची एवं शासन संरचना के साथ एसडीजी के अभिसरण हेतु की गई पहलों पर गंभीर रूप से निर्भर करेगा। अत: इस लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय संदर्भ में 2030 कार्यसूची के अनुकूलन की सीमा के संबंध में सरकार की तैयारी, कार्यान्वयन हेतु संसाधनों का चिन्हिकरण एवं जुटाव हेतु किए गए प्रयासों, तथा अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया हेतु की गई व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

लेखापरीक्षा ने दर्शाया है कि भारत सरकार ने 2030 कार्यसूची की मुख्यधारा हेतु केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर कई पहल की हैं। केंद्रीय स्तर पर प्रमुख (नोडल) संस्थानों को चिन्हित किया गया है, हितधारकों की व्यापक साझेदारी एवं परामर्शों का आयोजन किया गया हैं, दो योजना दस्तावेज अर्थात् "तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा" एवं "अभिनव भारत @75 हेतु कार्यनीति" जारी किए गए हैं तथा मंत्रालयों/विभागों तथा मौजूदा योजनाएं/कार्यक्रम के साथ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्रतिचित्रित करने के कार्य शुरू किए गए हैं। सात चयनित राज्यों में भी समरूप पहल की गई है। घरेलू संसाधन-संग्रहण एवं लोक व्यय की दक्षता को सुधारने हेतु भी कदम उठाए गए हैं। तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियों का अनुमान लगाया गया है। 'अनुवीक्षण

एवं रिपोर्ट करने' के क्षेत्र में, नीति आयोग जो एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख करने हेतु उत्तरदायी है, एसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की तैयारी की आवधिक समीक्षा तथा अनुवीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, इसने एसडीजी के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा करने के लिए एक बहु-विषयक कार्य बल का गठन किया। इसने 2018 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी कार्यान्वयन के तेजी से मूल्यांकन हेतु 62 प्राथमिकता संकेतकों पर आधारित एसडीजी भारत सूची तथा डैशबोर्ड को भी विकसित किया। सांख्यिकी मंत्रालय ने मंत्रालयों एवं राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया है। इन पहलों से जुड़कर राज्यों ने अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्कों के सृजन हेतु प्रारम्भिक कदम भी उठाए हैं।

तथापि, जैसाकि रिपोर्ट में कई स्थानों पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ पहलू है जिसपर ध्यान देने एवं उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। एसडीजी के संदर्भ में नीति दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर अभी भी चालू था। वर्ष 2020, 2025, 2030 के लिए यूएन एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित कार्य योजना के साथ परिभाषित 'मुख्य-पड़ाव' को अभी भी तैयार किया जाना था। समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी के स्थानीयकरण एवं प्रचार हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता दिखायी दी। एसडीजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन संग्रहण के संबंध में एक वित्तीय अंतर विश्लेषण अभी तक नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त लेखांकन तथा बजटीय फ्रेमवर्क में एसडीजी के एकीकरण का कार्य केन्द्र तथा अधिकतर राज्यों में अभी किया जाना है। अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के संबंध में, एनआईएफ के प्रकाशन में विलम्ब से राज्यों में संकेतकों का विकास एवं अनुवीक्षण फ्रेमवर्क तथा बेसलाइन डाटा एवं 'मुख्य-पड़ावों' का चिन्हिकरण जैसे कई मुख्य कार्य रुक गए थे।

2030 कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए कई क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बावजूद ऊपर उजागर की गई कमियाँ, 2030 कार्यसूची के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जोखिमों को दर्शाती हैं। अत: इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा समय पर तथा सुसमन्वित कार्रवाई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार 2030 कार्यसूची के समयबद्ध तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होगी।

अनुशंसाएं

तैयारी में कमियों से संबंधित निष्कर्षों तथा 2030 कार्यसूची के सफल तथा सामयिक कार्यान्वयन के मार्ग में प्रदर्शित जोखिमों के आधार पर, निम्नलिखित कार्रवाईयों की अनुशंसा की जाती है:

- ✓ उचित परामर्शों के उपरान्त एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक चार्टर तथा सुपरिभाषित 'मुख्य-पड़ावों' सहित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- ✓ विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने वाले कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
- ✓ एसडीजी के संबंध में लोक जागरूकता तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने की पहलों को आगे ले जाना चाहिए जिससे कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया सहभागी तथा समावेशी बन जाए।
- ✓ नीति आयोग को वित्त मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न समय सीमाओं हेतु एसडीजी को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता का एक मूल्यांकन करना चाहिए। राज्यों को भी ऐसा कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में लेखांकन तथा बजटीय फ्रेमवर्क में एसडीजी को एकीकृत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

- ✓ 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों' के उपयोग को विस्तारित एवं सुदृढ किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय संसाधनों के उपयोग में दक्षता को सुधारा जा सके और दुर्विनियोग से बचाया जा सके।
- ✓ एनआईएफ के प्रकाशन के अनुसरण में एसडीजी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि शेष 137 संकेतकों के बेसलाइन डाटा को चिन्हित करना, डाटा की उपलब्धता का आंकलन करना तथा अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के फ्रेमवर्क के सृजन को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2019

(सुनील दाढे)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 जून 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक